

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भू-तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
पिन - 462004

क्रमांक/1457/2016/आसांस/1-प्रशा./स्टोर

भोपाल, दिनांक 29/3/2016

-: संक्षिप्त निविदा सूचना :-

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल द्वारा कार्यालय में स्थापित विभिन्न कम्प्यूटर प्रिन्टरों हेतु वर्ष 2016-17 (एक वर्ष) के लिये टोनर कार्टेज का क्रय करने हेतु पंजीकृत फर्मों से निर्धारित प्रारूपों में सीलबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र, नियम शर्तों आदि का अवलोकन विभाग की वेबसाईड www.des.mp.gov.in एवं www.tenders.gov.in पर कर सकते हैं। प्रपत्र डाउन लोड कर निविदाकार को निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि के रूपये में रूपये 10,000/- (रूपये : दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल के नाम से देय होगा, (संलग्न करना अनिवार्य होगा)। निविदाकर्त्ताओं द्वारा अपनी निविदाएँ दिनांक 21.4.2016 समय 3.30 बजे तक उप-संचालक (प्रशा.), आर्थिक एवं सांख्यिकी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल के नाम से सीलबन्द लिफाफे में जमा की जा सकती है। जमा निविदाएँ उसी दिन समय 4.00 बजे उपस्थित निविदाकर्त्ताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश, भोपाल को होगा।

उप-संचालक (प्रशा.)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
मध्य प्रदेश



ई-मेल : des@mp.nic.in

Phone- 2551395

Fax- 0755 2551225

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भू-तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
पिन - 462004

टोनर कार्टेज प्रदाय करने हेतु निविदाकार का विवरण

क्रमांक		विवरण
1	2	3
1	फर्म क का नाम	
2	फर्म का पूरा पता, फोन/मोबाईल नम्बर, ई-मेल सहित	
3	फर्म का रजिस्ट्रेशन / टिन नम्बर	
4	कार्य का अनुभव (शासकीय विभाग मे प्रदाय का प्रमाण सहित विवरण)	
5	धरोहर राशि का विवरण	
	5.1 बैंक ड्राफ्ट नम्बर/दिनांक	
	5.2 बैंक ड्राफ्ट की राशि	
	5.3 बैंक शाखा का नाम	
6	कम्पनी जिसके टोनर प्रदाय करने में इच्छुक है। (HP, RICH, SAMSUNG)	
7	अधिकृत टोनर प्रदायकर्ता को प्रमाण पत्र का विवरण	
8	अपेक्षित कार्य को करने की क्षमता संबंधी अन्य कोई जानकारी जो निविदाकर्ता देना चाहे।	

सत्यापन

मैंने श्री.....आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल में टोनर कार्टेज प्रदाय करने हेतु जारी निविदा सूचना और उसकी शर्तों का अध्ययन कर लिया है। मैं शर्तों को पालन करने का वचन देता हूँ, तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार एक वर्ष के अनुबंध के आधार पर टोनर कार्टेज प्रदाय करने के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत करता हूँ। यदि निर्धारित शर्तों के अनुसार टोनर प्रदाय करने में मैं असमर्थ रहता हूँ, तो उस स्थिति में मेरी धरोहर राशि को राजसात करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्यप्रदेश को होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम/पता

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

भू-तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

पिन - 462004

वित्तीय वर्ष 2016-2017 हेतु टोनर कार्टेज का क्रय

फर्म का नाम

क्रमांक	प्रिन्टर मॉडल	कार्टेज का मॉडल	कार्टेज की दरें (करों सहित)
1	2	3	4
01	HP Laser Jet 1022 n	12 A	
02	HP Laser Jet 1200 n	15 A	
03	HP Laser Jet 1012	12 A	
04	HP Laser Jet 1320 n	49 A	
05	HP Laser Jet 5200 n	16 A	
06	HP Laser Jet 1522 nf	36 A	
07	HP Laser Jet 2100	96 A	
08	HP Laser Jet P1005	35 A	
09	HP Laser Jet P1007	88 A	
10	HP Laser Jet P1007	78 A	
11	HP Laser Jet P1606dn	CE278A78A15 A	
12	HP Ce 278 D (Black)-4200Pg	78 D	
13	HP Ce 278 N (Black)-2100Pg	78 N	
14	Ricoh 1000 SF		
15	Ricoh 1100 SF		
16	Ricoh Aficio MP 2500		
17	Samsung MI-2150 D8/Xip		
18	Ricoh Aficio MP 200012	12300D	
19	Ricoh 48 Aficio MP 180012	1230D	
20	HP Colour Laser jet CP5225	Black CE740A-K	
		Blue CE741A-C	
		Red CE743A-M	
		4-Yellow CE742A-Y	
21	HP Laser jet 9040dan	C8543X	

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम/सील

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

भू-तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

पिन - 462004

नियम एवं शर्तें

1. कार्यालय की मांग के अनुसार केवल ओरिजनल टोनर कार्टेज ही प्रदाय करना होगा।
2. यदि भविष्य में टोनर कार्टेज की दरें बढ़ती हैं, तो भी संबंधित फर्म को अनुमोदित दर पर ही सामग्री प्रदाय करना होगा, कोई अतिरिक्त भुगतान इसके लिए देय नहीं होगा।
3. टोनर कार्टेज मशीन पर लगाने के उपरांत यदि टोनर में कोई भी शिकायत पाई जाती है तो उसे तत्काल बदलना होगा, अन्यथा उसका भुगतान नहीं किया जावेगा।
4. जिस कम्पनी का प्रिन्टर हो उसी कम्पनी का टोनर कार्टेज प्रदाय करना होगा।
5. निविदाकर्ता को धरोहर राशि के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये: दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल के नाम से देय होगा, (संलग्न करना होगा)। उक्त धरोहर राशि पर किसी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा।
6. निविदाकर्ता को बैंक संबंधी जानकारी (बैंक पास बुक की छायाप्रति) संलग्न करना होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को संचालनालय के साथ एक अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर करना होगा। संबंधित प्रदायकर्ता एजेन्सी को जब भी जिस मात्रा में टोनर प्रदाय हेतु आदेश दिये जाएंगे, उसी दिनांक से तीन दिवस की अवधि में टोनर प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा इसे प्रदायकर्ता की असफलता मानी जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. यदि निर्धारित शर्तों के अनुसार टोनर प्रदाय करने में निविदाकर्ता असमर्थ रहता है, अथवा टोनर की ओरिजनलिटी एवं गुणवत्ता संबंधी शिकायत का निराकरण करने में असमर्थ रहता है, तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि को राजसात करने का अधिकार आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल को होगा।
9. टोनर कार्टेज के क्रय हेतु प्राप्त निविदाओं में से प्रस्तावित दरें समान होने पर स्थानीय निविदाकारों को प्राथमिकता दी जावेगी।



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भू-तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
पिन - 462004

....2...

10. टोनर प्रदाय करने हेतु कार्यादेश ई-मेल एवं फैंक्स से प्रेषित किया जावेगा। अनुमोदित फर्म द्वारा ई-मेल एवं फैंक्स प्राप्त होने के समय से तीन कार्य दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगा। तीन दिवस समाप्त होने के पश्चात् यदि सामग्री प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित फर्म को दण्ड के तौर पर राशि रूपये 25/- प्रति दिवस के मान से भुगतान करना होगा। उक्त राशि संबंधित फर्म के देयक से काटी जावेगी।
11. निविदाकर्त्ता को टोनर कार्टेज प्रदाय करने संबंधी एच.पी., रिको, सैमसंग आदि कम्पनी का अधिकृत विक्रेता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र के अभाव में उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाकर्त्ता का अपने Black listed (काली सूची) न होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी का निर्णय अंतिम मान्य होगा तथा न्यायालय का क्षेत्र जिला भोपाल होगा।

उप-संचालक (प्रशा.)

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
मध्य प्रदेश